कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी

पत्रांक– 963 / एन0ओ0सी0 / 2020-21 दिनॉक– 28/05/2020

सेवा में,

Torent Gas Pvt. Ltd.
Cyber Heights 8th Floor, TC/G-2/2 & TC/G,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010, U.P.

विषय :– **Permission of laying for 300mm (12'') Dia CS & 125mm Dia MDPE pipeline from Haidergarh to Nai Nai Sadak Tiraha (SH-13) Line. Total length 11230.00 Mtrs. (Aprox) district-Barabanki(U.P.)(Barabanki-Haidergarh-Bachhrawa road(SH-13)**

सन्दर्भ :– आपका पत्र संख्या. TGPL/GA-10.40/19-20/BAR/13 Date 05-03-2020 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–552 / 2019–20 दिनॉक 26–02–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि हैदरगढ से नई सडक तिराहा (एस0एच0–13) (बाराबंकी–हैदरगढ–बछरावॉ मार्ग, एस0एच0–13) पर 12'' डाया कार्बन स्टील पाईप लाईन एवं 125 एम0एम0 एम0डी0पी0ई0 गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल लम्बाई 11230.00 मीटर (मार्ग के निकलने वाले क्रास रोड की लम्बाई 148.65 मी0 एवं मार्ग के किनारे पटरी के बाहर लम्बाई 11081.35 मी0) की अनुमति हेतु रू0 65,03,544.00 के भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–552 / 2019–20 दिनॉक 26–02–2020 द्वारा सूचित किया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0–300565, दिनॉक 04–03–2020 रू0 65,03,544.00 (पैंसठ लाख तीन हजार पांच सौ चौवालीस मात्र) जारी किया गया है, जिसकी प्राप्ति के उपरान्त आपको अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– गैस पाइप डालने से पूर्व कम्पनी इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–द्वितीय श्री अवधेश कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री संतोष कुमार को सूचित करेंगे।

2– कार्य के दौरान सुनिश्चित करे कि यातायात के संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो सके।

3– मार्ग के पेन्टेड सतह को निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

4– मार्ग के पेन्टेड सतह एवं पटरी पर खोदे गये गड्ढे को पाइप डालने के बाद उसे तत्काल लोकल सैन्ड से भरकर मार्ग को पूर्व की भॉति ठीक करा देंगे, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो, ऐसा न करने पर पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

5– गैस पाइप मार्ग के मध्य से कम से कम 6.00 मी0 की दूरी तथा 2 मीटर की गहराई में ही डाला जाय। यदि उक्त स्थल पर कोई अतिक्रमण है, तो ऐसी स्थिति में विभाग तथा प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6– वन विभाग से अनुमति लेने के उपरान्त पाइप डालने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

7– यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण एवं अन्य किसी प्रकार का कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है और डाले गये गैस पाइप को क्षति पहुँचाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।

8– यह अनुमति उपरोक्तानुसार 11230.00 मीटर लम्बाई तक ही मान्य होगी।

9– कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग के लिए खुली छोडी गयी भूमि पैदल चलने वाले साइकिल वालों के लिए स्वतंत्र सुरक्षित रूप से चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

.........2

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

Mithilesh Kumar Singh 27.10.2020

10– खोदे गये गड्ढों को चारों तरफ से बैरिकेटिंग /टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जायेगा, ताकि गड्ढों में कोई व्यक्ति/बच्चा/जानवर आदि न गिर जायें। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सभी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।

11– भूमिगत गैस पाइप बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं /सुविधाओं को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। यदि ऐसी सुविधाओं को क्षति पहुँचाती है, तो कम्पनी उसे ठीक करायेगी। इस कार्य हेतु आने वाला समस्त व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

12– उक्त अनुमति अन्तरणीय नहीं है।

13– कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण करने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टों में गुणवत्तापरक पुनर्स्थापना विशिष्टयों के अनुरूप सुनिश्चित करना बाध्यकारी है। नियत अवधि मे अनुपालन न होने की स्थिति मे पुनर्स्थापना हेतु व्यय दण्ड सहित कम्पनी से वसूला जायेगा।

14– किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या का निर्णय बाध्यकारी होगा।

15– उक्त अनुमति दिनॉक 31–10–2020 तक ही प्रभावी रहेगी तत्पश्चात कम्पनी कोई कार्य नहीं कर सकेगी।

16– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–72/नौ–9–2018–161ज/12 नगर विकास अनुभाग–9, लखनऊ दिनॉक 08–02–2018 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः पालन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

17– उपरोक्त किसी भी शर्तो का अनुपालन न करने पर उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगा।

Chaurasia
28-5-2020

(ए०एस० चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बाराबंकी

28/5/2020

पत्रांक–463 /...../2020-21 दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिलाधिकारी, बाराबंकी।

2– अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या–अम्बे०वृत्त, लो०नि०वि०, अयोध्या।

3– श्री अवधेश कुमार सहायक अभियन्ता(द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी।

4– श्री संतोष कुमार अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी।

5– खण्डीय लेखाधिकारी/बजट लिपिक/खण्डीय कैशियर, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी।

6– अवर अभियन्ता(प्रा०), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बाराबंकी

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

27.10.20

Mithilesh Kumar Singh